19.07.22

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

19/7/22 प्रतिवादी 520 सही। उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा पूर्व के नवक प्रेषित है। मुकदमे की पत्रावली वादिनी बाद हेतु दिनांक 23.8.22 को पेश है।

23/8/22 पत्रावली पेश हुई [illegible] प्रतिवादी उपस्थित है, [illegible] अन्य राज्य [illegible] 16.11.22 [illegible] पेश हो। आज्ञा से

रिडर
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

ओमप्रकाश

अग्रिम सुनवाई तिथि 1 लगायी जाये

आज्ञा से
लगायत की
अग्रिम सुनवाई

29/8/22 प्रतिवादगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति है कि प्रार्थीगण द्वारा रावीनामा के आधार पर प्रकरण स्वीकार हेतु पेश किया। पत्रावली रिकार्ड से तलब की गयी। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के रावीनामा के परे के रावीनामा पर अलग से प्रकरण स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतः प्रकरण के रावीनामा के अलावा के प्रकरण स्वीकार किया जाकर पत्रावली रिकार्ड उभय होकर गवाह के रूप है।

सहायक कलक्टर
[illegible]